

11/5/18

30/5/18

31.05.18

प्रमाणित आर्षीस री / अर्षीस  
 पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु साईडिंग ऑफर को पेश हो  
 दिनांक 30/5/18 पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
 दिनांक 31/5/18 को पेश हो

पनावली आज न्याय कार्यालय द्वार  
 कोर्ट अउल सेवा केंद्र एस्टैश पर  
 मूल वाद के साथ पेश हुई।  
 प्रार्थना पत्र में उल्लिखित विवादित  
 भूमि प्राथमिक व अप्राथमिक की  
 सह स्वामिनी की भूमि है जिससे  
 प्रत्येक सह-स्वामिनी की सह-स्वामिनी  
 की भूमिओं का उपयोग व उपभोग  
 करने का समान अधिकार प्राप्त  
 है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र  
 वास्तविकता का कोई निषेधाज्ञा का स्वी-  
 कार किया जाकर ता केसलाबाद

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण संख्या

उभय पक्षकारान को अस्वार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादित भूमि आराजी खंन 785, 784, 793, 873/2108, 874, 924, 929/2107, 930 किता 8 का कुल रकबा 2.66 हैम्टे. खंन 882 रकबा 0.84 हैम्टे. खंन 2197/1963 रकबा 0.87 वाके ग्राम हरलेडा तहसील के मौजे की स्थिति बनाये रखे एवं किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं करें। उक्त अस्वार्थ निषेधाज्ञा विवादित भूमि के रहन एवं बिरासत के नामान्तरकरण पर लागू नहीं होगा। पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा कारकिल दफतर हो। निर्णय कैंप कोर अउल सि केन्द्र हरलेडा पर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जयपुर